न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 15/57/2021
5/4/2021

1–मेहर चन्द पुत्र हंसराज जाति मेधववाल निवासी मकान नं0 02 पेट्रोल पम्प के पास ग्राम रायसीस तहसील व जिला अलवर।

––प्रार्थी

बनाम

1–तैयब पुत्र अब्दुल शकूर जाति मुस्लिम वगैराह निवासीयान ग्राम अलादीन का बास ग्राम रायसीस तहसील व जिला अलवर।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

––:: निर्णय ::––

दिनांक :– 05.04.2021

आज यह पत्रावली कार्यालय रिपोर्ट होकर हमारे समक्ष पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील को मैरिट पर सुना गया। उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी तैयब वगैराह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी वकील द्वारा अपने कथन में कहा कि श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिस पर एसडीओ अलवर स्वयं मौके की जांच करें तथा स्थिति का भी अवलोकन करें। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई मौके की जांच की और ना ही अन्य कोई कार्यवाही की। पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया तो उन्होनें स्वयं ने खुले न्यायालय में डाईज पर ही कहा कि आप मुन्तकिली प्रार्थना पत्र लगा दो इस प्रकार पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय व निष्पक्ष कार्यवाही की कोई उम्मीद नही रही है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा बहुत नजदीक–नजदीक की पेशी लगाई जा रही है, और प्रकरण में प्रार्थी के खिलाफ आदेश पारित करने पर उतारू है। वादी संख्या 5 जो वर्तमान में सरपंच के ताऊ का लडका है जिसका राजनैतिक काफी प्रभाव है और वादीगण स्पस्ट तौर पर गांव में यह कहते है कि हमने उप खण्ड अधिकारी अलवर से बातचीत कर ली है प्रकरण का निर्णय हमारे हक में ही होगा। प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 535 प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है जिसमें वादी नवीन रास्ता कायम करना चाहते है। विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नही चाहिए। जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाद को अन्य किसी न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। प्रार्थी का हितबद्व व्यक्ति है उसके द्वारा शपथ पर किये गये कथन परिस्थितियों के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होते है। मात्र कायस के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना किसी ठोस आधारों के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्याय प्रक्रिया के अधीन पक्षाकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड में दुरूपयोग को बढावा नही मिलना चाहिए। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी अलवर को भिजवाई जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर